



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052026-272285  
CG-DL-E-06052026-272285

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2144]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2026/वैशाख 15, 1948

No. 2144]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2026/VAISAKHA 15, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2026

का.आ. 2231(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.७४५(अ) तारीख १२/०२/२०२६ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १५०ई के अक्कलकोट-गाणगापूर खंड पर कि. मी. ९८/०२० पर बोरी नदी पर प्रमुख पुल (Major Bridge) का निर्माण तथा कि. मी. ९७/६०० से कि. मी. ९८/३५० तक पुहंच मागो सहित (कुल एंवम=०.७५० कि. मी.) (चौडाकरण/पेव्ह शोल्डर सहित ४-लेन/ब्रिज अप्रोचेस का बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (३)के अधीन का.आ.७४५(अ) तारीख १२/०२/२०२६ में "दैनिक लोकमत" और "द टाइम्स ऑफ इंडिया" तारीख १५/०२/२०२६ दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ती प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १५०ई के अक्कलकोट-गाणगापूर खंड पर कि. मी. ९८/०२० पर बोरी नदी पर प्रमुख पुल (Major Bridge) का निर्माण तथा कि. मी. ९७/६०० से कि. मी. ९८/३५० तक पुहंच मागो सहित (कुल एवम=०.७५० कि.मी.) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अक्कलकोट					
गांव का नाम: इटगे					
1	६९	निजी	जिरायत	0.12	श्री . संत गोपाळराव महाराज, पार्वती चंद्रकांत जमादार, शिवशंकर रामचंद्र कोणदे, सुभाष रामचंद्र कोणदे, सुनिता लक्ष्मण कोणदे, मंगेश लक्ष्मण कोणदे, महेश लक्ष्मण कोणदे 69
गांव का नाम: उमरगे					
2	१	निजी	जिरायत	0.09	श्रीशैल मलेशी बिराजदार, विठ्ठल मलेशी बिराजदार, तायव्वा को चन्नबसण्णा बिराजदार, शरणप्पा चन्नवीरण्णा बिराजदार, चन्नवीरण्णा निगप्पा बिराजदार, चंद्रशा गौडप्पा बिराजदार, गुरुबसण्णा गौडप्पा बिराजदार, गुरुनीगप्पा भीमण्णा, शिवप्पा भीमण्णा, शिवप्पा

					गुरप्पा , गुरुबसप्पा गौडप्पा, अणप्पा गदगेप्पा बिराजदार,शिवराया गदगेप्पा बिराजदार,मल्लप्पा चनमलप्पा बिराजदार,हनुमंत चनमलप्पा बिराजदार,लक्ष्मीपुत्र चनमलप्पा बिराजदार,शिवलिंगप्पा चनमलप्पा बिराजदार,लक्ष्मीबाई चंद्रकांत बिराजदार ,अनिलकुमार चंद्रकांत बिराजदार, गौरीशंकर चंद्रकांत बिराजदार , माणिक मल्लेशी बिराजदार, बसवराज पंडित बिराजदार, रवींद्र पंडित बिराजदार, शोभा सिद्धाराम बिराजदार, इंदूबाई सिद्धाराम सिगरकंटी, सरूबाई अप्पाशा बिराजदार. 1
3	२	निजी	जिरायत	0.01	सिद्धाराम आणप्पा बाके 2
4	३	निजी	जिरायत	0.01	सिद्धाराम आणप्पा बाके 3
5	४	निजी	जिरायत	0.01	श्रीकृष्णा मल्लिकार्जुन बिराजदार, समर्थ राजशेखर बिराजदार,सुनिता राजशेखर बिराजदार 4
<b>Total</b>				<b>0.24</b>	

[फा. सं. RW/NH-12014/15/2024-MAH/Zone-IV/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th May, 2026

**S.O. 2231(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number **S.O.745(E) dated 12/02/2026**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **Construction of Major Bridge on**

**Bori River at Km 98/020 (widening/four-laning/Bridge Approaches' etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 150E Akkalkot to Gangapur section in the stretch of land from Km. 97/600 to Km. 98/350 (Total length=0.750 Km) in the District of Solapur in the state of Maharashtra.**

And whereas the substance of the said notification **S.O. 745 (E) dated 12/02/2026**, has been published in “**Dainik Lokmat**” and “**The Times of India**” Both Dated **15/02/2026** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections filed under section 3-C, Considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling Construction of Major Bridge on Bori River at Km 98/020 National Highway No. 150E Akkalkot to Gangapur section within the stretch of land from Km. 97/600 to Km. 98/350 (Total length=0.750 Km) in the District of Solapur in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Akkalkot					
Village: Itage					
1	69	Private	Dry	0.12	Shri.Sant Gopalrao Maharj,Parvati Chandrakant Jamadar,Shivshankar Ramchandra Konade,Subhash Ramchandra Konade,Sunita Laxman Konade,Mangesh Laxman Konade,Mahesh Laxman Konade 69
Village: Umarge					

2	1	Private	Dry	0.09	Shreeshail Maleshi Birajadar, Vitthal Maleshi Birajdar, Tayavva Ko Chanbasappa Birajdar, Sharnappa Chanvirappa Birajdar, Chanvirappa Nigappa Birajdar, Chandrsha Goudappa Birajdar, Gurubasappa Goudappa Birajdar, Gurunigappa Bhimanna, Shivappa Bimanna, Shivappa Gurappa, Gurubasappa Goudappa, Anappa Gadageppa Birajdar, Shivraya Gadageppa Birajdar, Malappa Chnmalappa Birajdar, Hanmant Chnmalappa Birajdar, Laxmiputr Chnmalappa Birajdar, Shivlingappa Chnmalappa Birajdar, Laxmibai Chndrakant Birajdar, Gaurishankar Chndrakant Birajdar, Manik Maleshi Birajdar, Basvraj Pandit Birajdar, Ravindr Pandit Birajdar, Shobha Siddaram Birajdar, Indubai Siddaram Sigarkatti, Sarubai
---	---	---------	-----	------	---

					Appasha Birajdar 1
3	2	Private	Dry	0.01	Siddaram Aanappa Bake 2
4	3	Private	Dry	0.01	Siddaram Aanappa Bake 3
5	4	Private	Dry	0.01	Shrikrishna Mallikarjun Birajdar, Samarth Rajshekhar Birajdar, Sunita Rajshekhar Birajdar 4
<b>Total</b>				<b>0.24</b>	

[F. No. RW/NH-12014/15/2024-MAH/Zone-IV/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director